न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
134 / 2023	18.08.2023	26.02.2024

उनवान

1. संतोष पत्नी श्री गणेश जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नई ईरास, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

–प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाश चन्द्र काबरा आत्मज श्री सुवालाल जाति काबरा उम्र वयस्क निवासी 92. विद्युत नगर, भीलवाड़ा (राज.)
2. श्री गोपाल आत्मज श्री ठेक चन्द्र जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रतनी पुत्री सुखदेव जाति जाति कुम्हार उम्र बयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. श्री कल्याण आत्मज श्री जोधा जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
5. हजारी आत्मज देवी जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती चान्दी पत्नी स्व० श्री बंशी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
7. कमला पुत्री स्व० श्री बंशी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
8. नाराणी पुत्री स्व० श्री बंशी कुम्हार जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. रर्तन पुत्र स्व० श्री बंशी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. नाबालिगगण अमरचन्द, देवकिशन, पुजा, मनभर रूकमा राधा एवं सुखदेव जरिये संरक्षका माता चांदी प्रार्थीया संख्या 06 श्रीमती चान्दी पत्नी स्व० श्री बंशी कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. श्री घनश्याम आत्मज श्री मोहन कुम्हार जाति कुम्हार उम्र वयस्कनिवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. श्रीमती देउ पत्नी श्री मोहन कुम्हार जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. बक्षु आत्मज श्री मोहन कुम्हार जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. बदाम पुत्री श्री मोहन कुम्हार जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

15. रतन आत्मज श्री मोहन कुम्हार जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
16. सीमा पुत्री श्री मोहन कुम्हार जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
17. जमना लाल आत्मज श्री मांगीलाल सुथार जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
18. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी पंकज दाधीच
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अगरपुरा प0ह0 हलेड भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 321 की अभिलिखित आराजियात 1075, 1076/2 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा अगरपुरा प0ह0 हलेड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 321 की अभिलिखित आराजियात 1075, 1076/2 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा